

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

8वां तल, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली,
दिनांक: 01 दिसंबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की समय अवधि का 31 दिसंबर, 2021 तक विस्तार


अधोहस्ताक्षरी को यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक केंद्रीय सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर के महीने में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। यह देखा गया है कि इस उद्देश्य हेतु बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी स्वयं बैंक शाखाओं में जाते हैं।

2. कई राज्यों में कोविड-19 महामारी के फैलाव और कोरोना वायरस से बयोवृद्ध वर्ग के शीघ्र संक्रमित होने की आशंका को ध्यान में देखते हुए, सभी आयु वर्ग के पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की मौजूदा समय-सीमा को दिनांक 30/11/2021 से और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब, सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र 31 दिसंबर, 2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विस्तारित अवधि के दौरान, पेंशन संवितरण प्राधिकारियों (पीडीए) द्वारा पेंशन का भुगतान निर्बाध रूप से जारी रखा जाएगा।

3. उपरोक्त उपायों से शाखाओं में जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय जल्दबाज़ी से बचने और कोविड-19 अनुरूप व्यवहार को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारी अपनी शाखाओं में उचित व्यवस्था और सामाजिक दूरी के उपायों को सुनिश्चित करें और ऐसे उपाए करें जिनसे शाखाओं में कम से कम भीड़ हो।

4. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए इस कार्यालय ज्ञापन का संज्ञान लें और पेंशनभोगियों के बीच इसका व्यापक प्रचार करें।

5. यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी
3. लेखा महानियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली, दिल्ली 110023
4. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ट्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली
5. सीपीपीसी, सभी पेंशन संवितरण बैंक
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
9. सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, जीवन दीप विलिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
10. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली
12. राज्यों के सभी मुख्य सचिव
13. सचिव, विदेश मंत्रालय, दक्षिणी ब्लॉक, नई दिल्ली
14. एनआईसी:-इस विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए

